426
427

संख्या– /XV-2/01(03)/2012

प्रेषक,

विजय कुमार ढौडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–02 देहरादूनः दिनांक 18 दिसम्बर, 2015ः

विषय– डेरी विकास विभाग के निदेशालय भवन निर्माण हेतु भारत सरकार हेतु जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत हल्द्वानी में 1.75 है0 वन भूमि को प्रत्यावर्तित किये जाने की सैद्धांतिक सहमति के क्रम में 03–डेरी विकास योजना (सामान्य) में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उप निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–916–17/लेखा–प्रस्ताव डे0वि0यो0/2015–16, दिनांक 08 दिसम्बर, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–400/**XXVII(1)/2015,** दिनांक 01 अप्रैल, 2015, शासनादेश संख्या–1336/ **XXVII(1)/2015,** दिनांक 17 नवम्बर, 2015 एवं शासनादेश दिनांक 27 नवम्बर, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु अनुदान संख्या–28 डेरी विकास योजनान्तर्गत मूल बजट में डेरी विकास विभाग को निदेशालय भवन निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत हल्द्वानी में 1.75 है0 वन भूमि को प्रत्यावर्तित किये जाने की सैद्धांतिक सहमति के क्रम में रू0 20.10281 लाख (रूपये बीस लाख दस हजार दो सौ इक्यासी मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि की फॉट निदेशक, डेरी द्वारा करने के उपरान्त सम्बन्धित जिला स्तर के अधिकारियों एवं शासन को अवगत कराया जायेगा।
2. किसी भी दशा में एक मद की धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा।
3. वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/09/104/2015/ एफ0सी0/1853, दिनांक 12 नवम्बर, 2015 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन विभाग, हल्द्वानी द्वारा निदेषक, डेरी को अपने पत्रांक–2340/12–1(2) हल्द्वानी, दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के वर्णित शासनादेशों का अनुपालन सुनिशचित किया जाय।
5. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–08 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
6. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जाय।
7. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

8. व्यय करते समय मितव्यता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–00–आयोजनागत–102–डेरी विकास परियोजनायें–03–डेरी विकास योजना–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 एवं शासनादेश संख्या–**1336/XXVII(1)/2015,** दिनांक 17 नवम्बर, 2015 एवं शासनादेश दिनांक 27 नवम्बर, 2015 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विजय कुमार ढौडियाल)
सचिव।

संख्या– 554 (1)/XV-2/2015तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, दुग्ध को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
5. वित्त अनुभाग–4,/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार सिंह)
अनु सचिव।